आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website http //hte rajasthan gov in/dept/dce/
e-mail: nssccceraj@gmail.com Ph.: 8377917640

क्रमांकः एफ.8(36) विविध/एनएसएस/आकाशि/2022/ दिनांकः मई, 2024

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
(एन.एस.एस. से सम्बन्धित)
राजस्थान।

विषय :— सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन बाबत।
सन्दर्भ :— सदस्य सचिव, राजस्थान युवा बोर्ड, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर के पत्र दिनांक 29.04.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन हेतु व्यापक कार्य योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई एवं प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः सन्दर्भित पत्र संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयं सेवक/सेविकाओं तथा केडेटों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश प्रदान करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि —

1. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप—4—अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को अपलोड हेतु।

(डॉ. कृष्ण कुमार कुमावत)
राज्य समन्वयक,
युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ

RajKaj Ref
6902466

Signature valid
Digitally signed by Krishan Kumar Kumawat
Designation : Assistant Professor
Date: 2024.05.01 16:30:57 IST
Reason: Approved

राजस्थान युवा बोर्ड

(युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार)
सवाईमान सिंह स्टेडियम, जयपुर टेलीफैक्स 0141-2741489

क्रमांक 1(04)रायुबो/2024 जयपुर, दिनांक: 29.04.2024

1. राज्य सम्पर्क अधिकारी,
   राष्ट्रीय सेवा योजना, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अति.निदेशक,
   राष्ट्रीय कैडेट कोर, जयपुर।
3. राज्य निदेशक,
   नेहरू युवा केन्द्र संगठन, जयपुर।
4. राज्य सचिव,
   राजस्थान राज्य भारत स्काउट एव गाइड,
   जयपुर।

विषय:- **Single Use Plastic** के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में राज्य में एक उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन पर व्यापक कार्य योजना के कार्योन्वयन की प्रगति पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे ग्लास, आईसक्रीम चम्मच, स्ट्रा, प्लासिटक दोने एवं प्लेट इत्यादि के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है तथा सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद का किसी प्रकार का उपयोग करने हेतु प्रतिबंध किया है।

अतः आपसे निवेदन है कि आपके विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारियें एव स्वयं सेवक/केडेटों को सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग नहीं किये जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करावें।

भवदीय,

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव महोदय, युवा मामले एव खेल विभाग को आपके पत्र क्रमांक प 13(29)खेल/2022 के संबंध में।
2. समस्त सचिव, जिला युवा बोर्ड एवं जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राजस्थान।
3. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव

General Latter/119/2023